न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 114/2022

नरेश कुमार पुत्र बलराम जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज0)

– – **प्रार्थी**

–:: बनाम ::–

1. ओम प्रकाश पुत्र श्री बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. कमलादेवी कमला देवी पुत्री श्री बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. दौलत राम पुत्र श्री बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. माया देवी पुत्री बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. शम्भू सिंह तंवर पुत्र श्री विजय सिंह तंवर जाति राजपूत निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
6. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. सलोचना देवी पुत्री बनवारी लाल जाति कुम्हार निवासी चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

– – **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता – – प्रार्थी
2. श्री रणजीत सारडीवाल – – अप्रार्थी संख्या 3
3. पैरोकार राज – – अप्रार्थी संख्या 8

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–28.05.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी के नाम चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या–47 में मुरब्बा नम्बर–5 में किला नम्बर 1/1 में

Scanned with CamScanner

0.0568 हैक्टेयर, 8/1 में 0.0668 हैक्टेयर, 9/1 में 0.0599 है., 10/1 में 0.0376 हेक्टेयर, 11/1 में 0.2482 है., 12/1 में 0.1556 हैक्टेयर, 13/1 में 0.0388 हैक्टेयर, 14/1 में 0.0572 है., 15/1 में 0.0527 हैक्टेयर, 18/1 में 0.2489 हैक्टेयर, 19 में 0.253 हैक्टेयर, 20 में 0.253 हैक्टेयर, 21 में 0.253 हैक्टेयर, 22 में 0.253 हैक्टेयर, 23 में 0.253 हैक्टेयर कुल 2.2875 हैक्टेयर नहरी एवं मुरब्बा नम्बर–12 में किला नम्बर – 16 ता 30 प्रत्येक में सालम कुल 1.265 हैक्टेयर बारानी एवं मुरब्बा नम्बर 16 में किला नम्बर 13/1 में 0.190 हैक्टेयर नहरी अर्थात कुल 3.7425 हैक्टेयर नहरी व बारानी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी है। प्रार्थी को अपनी जमीन मुरब्बा नम्बर – 5 में जाने के लिए कोई सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध नहीं है, रास्ते के अभाव में प्रार्थी को अपनी जमीन खेती करने में परेशानी होती है तथा चारा लाने में भी परेशानी होती है इसलिए प्रार्थी को रास्ते की अति आवश्यकता है इसलिए रास्ता मन्जूर किया जाना आवश्यक है । अप्रार्थीयान के मुरब्बा नम्बर 16 के किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 17, 14, 7, 4 ,3 में रास्ता नजदीक पड़ता है। मुरब्बा नम्बर–16 के किला नम्बर–21, 22, 23, 24, 17, 14, 7, 4, 3 में घरू तौर पर आम रास्ता चलता है जिससे प्रार्थी अपने खेत में आसानी से जा सकता है। घरू तौर पर पहले आता–जाता रहता था मगर अब अप्रार्थीयान रास्ते में रूकावट पैदा कर रहे है जबकि इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीक व सुविधाजनक नहीं है इसलिए इन किलों में रास्ता स्वीकृत किया जाना चाहिए ताकि प्रार्थी अपने किलों में जा सके। प्रार्थी जो अप्रार्थीयान की भूमि रास्ते की जगह में आयेगी उसका डीएलसी के अनुसार भुगतान करने के लिए तैयार है । प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान को कहा कि जो रास्ता चल रहा है उसको मन्जूर करवाया जावे लेकिन पहले तो वह कहते रहे कि करवायेगें लेकिन अब उन्होने इन्कार कर दिया, इसलिए प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के अलावा ओर कोई चारा नहीं है । प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है । प्रार्थना पत्र एक रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थना पत्र जनाबवाला के क्षेत्राधिकार में है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 17, 14, 7, 4, 3 में 2–2 बिस्वा रास्ता मन्जूर किये जाने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थनापत्र की मद सं. 3 में प्रार्थी ने चक 5 वाई के मुरबा नं. 16 के किला नं.21 ता 24 तथा 17,14,7,4,3 में जो रास्ता चाहा है उसमें से किला नं. 3व 23 का रकबा मेरे कब्जा काश्त में है जिसके विभाजन के लिए दावा माननीय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए अगर उक्तानुसार प्रार्थी किला नम्बर 23 के दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा तथा किला नं. 3 का उत्तरी पूर्वी कोना भाग रास्तें के लिए डीएलसी की दुगुनी राशि देकर लेना चाहता है तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थनापत्र की मद सं. –4 में वर्णित अनुसार अगर प्रार्थी किला नम्बर 23 के दक्षिण दिशा में 2 बिस्वा तथा तथा

Scanned with CamScanner

किला नं. 3 का उत्तरी पूर्वी कोना भाग रास्ता लेकर डीएलसी की दुगुनी राशि का भुगतान करता है तो उसमें कोई एतराज नहीं है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय हलफनामा प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्तानुसार 2–2 बिस्वा डीएलसी की दुगुनी राशि जमा करवाकर प्रार्थी रास्ता दिया जाता है तो उसमें कोई एतराज नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 को जारी नोटिस पर विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने हेतु रास्ता की आवश्यकता है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 वाई तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 16 किला नम्बर 21, 22, 23, 24, 17, 14, 7, 4, 3 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। **वकील अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। वकील अप्रार्थी की मुख्य जवाब बहस यह रही कि** उक्त अनवानी रास्ते के प्रकरण प्रार्थनापत्र के पैरा संख्या 3 में अंकन अनुसार चक 5 वाई के मुरबा नं. 16 के किला नं. 21, 22, 23, 24, 17, 14, 7, 4, 3 में रास्ता नजदीक दर्शाया जाकर उक्त किलाजात में घरेलू तौर पर रास्ता चलना दर्शाया है तथा उसी अनुसार प्रार्थनापत्र में अनुतोष चाहा है आईएलआर रिपोर्ट दिनांक 12.12.2024 अनुसार तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की बिन्दूवार रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 में इसी रकबे में रास्ता की रिपोर्ट देना दर्शाया हुआ है। लेकिन उक्त बिन्दूवार रिपोर्ट के पैरा स. 1 में उक्त किलेजात का कही पर जिक नहीं किया उसके विपरीत मुरबा नं. 16के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 के मध्य में से होकर किला नम्बर 21, 22, 23 के दक्षिणी दिशा की तरफ से होकर प्रार्थी को खेत में आना जाना दर्शाया है ऐसी सूरत में अनुतोष से बाहर होने के कारण प्रार्थनापत्र मय कोस्ट खारिज किया जाना जरूरी है। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की बिन्दूवार रिपोर्ट के पैरा स 3 में मुरबा नं. 15 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 21, 22, 23 में से आसानी रहना बताया है यानि प्रार्थी को वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के बावजूद अप्रार्थी सं.3 को अनाश्यक तंग परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय को गुमराह करते हुए वास्तविकता से परे होने के कारण विश्वसनीय नहीं होकर प्रार्थना पत्र ही काबिले खारिज है इतना ही नहीं आईएलआर की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पैरा सं.1 में मुरबा नं. 16 के किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24, के मध्य में से होकर किला नम्बर 21, 22, 23 के दक्षिणी दिशा की तरफ दर्शाया है तथा मुरबा नं. 16 के किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 21, 22, 23 में निकटत रास्ता बताया है जोकि प्रार्थी के निदेशानुसार तथा सुविधानुसार मुरबा नं. 16 किला नम्बर 3, 8, 13, 18, 21, 22, 23 में से होकर अपने रकबे में जाने में आसानी बताया है इस प्रकार उक्त संदेहाप्रद एवं अधूरी रिपोर्ट होने के कारण प्रार्थनापत्र ही काबिले खारिज है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.04.2025 को पहले तो आगे बहस करने का कथन किया बाद में मुझे बिना सूचित किए

Scanned with CamScanner

न्यायालय को गुमराह करते हुए एकतरफा बहस करते हुए मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थनापत्र स्वीकार कराने की चेष्ठा है जिस प्रकार से आईएलआर की रिपोर्ट पर भी अप्रार्थी सं. 3 के जो हस्ताक्षर करवाए है वो केवल खाली कागजात रिपोर्ट प्रफोर्मा पर यह कहकर करवाए गए है कि प्रार्थना पत्र अनुसार रास्ता स्वीकार करना है जबकि बाद में पीछे से रिपोर्ट तैयार करवाई जाकर प्रस्तुत कर दी है ऐसी सूरत में संदेहाप्रद एवं मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर रास्ते का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण रास्ते के लिए बने सरकारी नियम 1955 की धारा 69 की उल्लघंना की श्रेणी में होकर प्रार्थना पत्र मय कोष्ठ खारिज फरमाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुलता बढेगी तथा अप्रार्थी संख्या 3 को पेचिदगीयों का सामना करना पड़ेगा। मुझ अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा इसी विवादित रकबे के सम्बन्ध में अपने कब्जे काश्तअनुसार भूमि का बंटवारा करवाने के सम्बन्ध में वादपत्र मय 212 आरटीए प्रार्थनापत्र बअनवानी दौलतराम बनाम औमप्रकाश आदि प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थग्न प्रकरण सं. 89/203 में दिनांक 25.10.2023 को अस्थाई निशेधाज्ञा जारी है जोकि आज तक प्रभावी है तथा आज की तारीख पेशी मुर्करर है ऐसी सूरत में स्थगन के दौरान प्रार्थनापत्र ही चलने योग्य नहीं है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय कोष्ट खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी सं. 3 को को न्याय दिलाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और वैकेल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर विचार किया जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के संलग्न नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी का रकबा भारत माला सड़क के साथ लगता हैं जिससे प्रार्थी के पास अपने खेत में आने जाने का विकल्प मौजूद है एवं प्रार्थी अपने खेत में आ जा सकता है। सुविधा के आधार पर प्रार्थी को रास्ता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है एवम् प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना कर रहा हैं। प्रार्थी के पास वैकेल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. न्यायालय स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक **28.05.2025** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner